रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112024-258926 CG-DL-E-26112024-258926

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4672]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2024/अग्रहायण 5, 1946

No. 4672]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2024/AGRAHAYANA 5, 1946

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2024

का.आ. 5062(अ).— पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम

- 1. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम (जिसे भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा का.आ. 4259 (अ),दिनांक 29 सितंबर,2024 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था) के आंशिक आशोधन में. 08 नवम्बर,2024 से निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं -
- 2. का.आ. 4259 (अ), दिनांक 29 सितंबर,2024 के संलग्नक IV के क्रम सं. 3 को निम्नानुसार संशोधित माना जाएगा:

क्र. सं.	वाहन खंड	सहायता प्रदान किए जाने वाले	वाहनों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन*¹	आर्थिक	भारी
		वाहनों की अधिकतम संख्या		प्रोत्साहन प्राप्त	उद्योग
				करने के लिए	मंत्रालय से
				अधिकतम	कुल निधि
				एक्स-फैक्ट्री	सहायता
				मूल्य	

7616 GI/2024 (1)

		01 अप्रैल,2024 से 7 नवंबर,2024 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहन	08 नवंबर,2024 से 31 मार्च,2026 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहन	01 अप्रैल,2024 से 7 नवंबर, 2024 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहन	8 नवंबर,2024 से 31 मार्च,2026 तक वाहन पोर्टल पर पंजीकृत वाहन		(करोड़ रूपए में)
3	पंजीकृत ई- तिपहिया L5	80,546	1,24,846	5,000 रूपए /किलोवाट घंटे जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वाहन 50,000 रूपए होगी	2,500 रुपए/किलोवाट घंटे जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वाहन 25,000 रुपए होगी	5 लाख रुपए	715*2

- *1 तथापि, प्रति किलोवाट घंटे की आर्थिक प्रोत्साहन की प्रस्तावित राशि वाहन लागत में कमी के अनुसार समीक्षा के अध्यधीन होगी और तदनुसार समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी। आर्थिक प्रोत्साहन ऊपर यथाविनिर्दिष्ट अनुसार अथवा ई-दुपहिए/ई-तिपहिए के एक्स-फैक्ट्री मूल्य के 15 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक सीमित होगी।
- *2 ईएमपीएस-2024 के अंतर्गत परिव्यय पीएम ई-ड्राइव के परिव्यय में समाहित है।

[फा. सं. 1(1)/2024 -एइआई(28077)]

डॉ. हनीफ़ क़ुरैशी, अपर सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2024

S.O. 5062(E).—PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme

- 1. In partial modification of the PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme which was notified by the Ministry of Heavy Industries vide S.O.4259(E) dated 29th September, 2024, the following amendments are made with effect from 8th November 2024.
- 2. Sl. No. 3 of the Annexure IV of S.O.4259(E) dated 29th September, 2024 shall stand amended as under:

Sr. No.	Vehicle Segment	Maximum i vehicles to be		Incentive	for vehicles*1	Maximum Ex-factory price to avail incentive	Total fund support from MHI
		Vehicles registered on Vahan portal from 1 st April 2024 to 7 th November 2024	Vehicles registered on Vahan portal from 8 th November 2024 to 31 st March 2026	Vehicles registered on Vahan portal from 1st April 2024 to 7th November 2024	Vehicles registered on Vahan portal from 8 th November 2024 to 31 st March 2026		(Rs. crore)
3	Registered e-	80,546	1,24,846	Rs.5,000	Rs.2,500/kWh	Rs.5 lakh	715*2

3 wheelers	/kWh	capped at	
L5	capped at	Rs.25,000 per	
	Rs.50,000	vehicle	
	per vehicle		

- *1 The proposed amount of incentive per kWh is, however, subject to review as per the reduction in vehicle cost and would be notified accordingly from time to time. The incentive shall be limited to as specified above or 15% of ex-factory price of e-2W/ e-3W, whichever is lower.
- *2 The outlay under EMPS-2024 is subsumed within the outlay under PM E-DRIVE.

[F. No. 1(1)/2024-AEI(28077)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.